फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

हीरालाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. गु0नं0– 93/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खाता संख्या 21 नया व पुराना 22 की भूमि खसरा नंबर 6, 8, 9 एवं खाता संख्या 22 नया व पुराना 23 की भूमि आराजी खसरा नंबर 10 ग्राम धूलकोट तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी खाता संख्या 21 नया व पुराना 22 में हिस्सा 1/48 खातेदार संख्या 47 पर दर्ज है तथा इसी खाता के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार संख्या 48 पर प्रार्थी हिस्सा 1/40 का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसलए प्रकार खाता संख्या नया 22 पुराना 23के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी खातेदार संख्या 30 पर हिस्सा 1/40 के रूप में दर्ज रिकॉर्ड व इसी जमाबंदी में खातेदार संख्या 31 पर प्रार्थी हिस्सा 1/48 के खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है जो कि संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्टतया प्रमाणित है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जो पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात प्रार्थी का नाम विरासत का नामान्तकरण दिनांक 20.11.97 को खोला गया जिसके अनुसार प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया। प्रार्थी उक्त पैतृक आराजी के अपने हक हिस्से पर काबिज चला आ रहा है इसके अलावा प्रार्थी ने उक्त आराजी में से खातेदारान रामेश्वर, मनफूल, मुनक्या, रमेश, रामकरण, किशनलाल, पिसरान गोकुल से उनके हक हिस्सा 1/16 को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 20.11.97 को खरीद कर काबिजकाश्त हुआ इस प्रकार प्रार्थी उक्त आराजी के अपने पैत्रिक हिस्सा एवं जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि के हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। किन्तु खाता संख्या नया 21 एवं खाता संख्या नया 22 में खातेदारी अंकन हिस्सा 1/48, 1/40 अलग अलग दोनो ही खातो में दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का दोनो वर्णित खातो की जमाबंदी मं एक ही खातेदार एवं एक ही हिस्सा के रूप में खातेदारी इन्द्राज होना चाहिए ऐसी सूरत में प्रार्थी अधिकारी है कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाए। इसलिए दोनो हिस्सो को दुरूस्त करवाकर एक ही हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। एवं प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि खाता संख्या 21 में प्रार्थी का हिस्सा 1/48 व 1/40 दर्ज रिकॉर्ड है जिसे एक कर दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तवेजात कर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे दो हिस्सों को एक कर कुल हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा